Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **नारायण वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र**	नं0 **193**	सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2023	अधिवक्ता सीएम जणवा के मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सीएम जणवा हाजिर। हाजिर अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 अपने हक व हिस्से की मुआवजा राशि अपनी पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहता है अब वर्तमान में मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड एवं अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली है। प्रार्थना–पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 2 को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। अप्रार्थी संख्या 2 निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/ 2022/552 दिनांक 20.04.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 2 मांगीलाल पिता दल्ला जाति डांगी निवासी सांगरिया के नाम पर जारी चैक संख्या 17115 दिनांक 12.01.2022 तादादी रूपये 5,74,695/– अक्षरे पांच लाख चौहत्तर हजार छः सौ पिचानवे रूपये मात्र का चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थीगण 2 को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करे। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भुगतान प्राप्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त विपक्षीगण द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने के निवेदन से पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश सुनाया गया। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 23.02.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	